

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-340/2005

रमेशचन्द

—अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.09.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी रमेशचन्द के विरुद्ध नियम-17 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, जिसमें अपीलार्थी के विरुद्ध दण्डादेश दिनांक 31.08.2000 पारित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी की 2 वर्षीय वेतन वृद्धि अंशचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया था। उक्त दण्डादेश को अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है। साथ ही अपीलार्थी ने दण्डादेश अपास्त किये जाने के उपरांत वेतन का पुनर्निर्धारण कर पारिणामिक लाभ दिये जाने की प्रार्थना की है।
2. चूंकि सीसीए नियम-16 एवं 17 में दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपील इस अधिकरण के समक्ष किया जाना वर्जित है।
3. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य(न्यायिक)